अनुसूची १४-फारम सं0-४६२

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

आदेश पत्रक - ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १९.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या किस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित ३

आयुक्त न्यायालय, कोशी प्रमंडल, सहरसा

आर्बिट्रेशन वाद संख्याः-87/2020

सुरेश यादव.....आवेदनकर्त्ता

-बनाम-

राज्य.....रेसपॉण्डेन्ट

-:: आदेश ::-

प्रस्तुत आर्बिट्रेशन वाद सुरेश यादव, पिता-स्व0 कारी यादव, सा0-भऔरा, थाना-बख्तियारपुर, जिला-सहरसा के द्वारा राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या-107 (महेशखुट-सोनवर्षा राज-सहरसा-मधेपुरा-पूर्णियाँ खण्ड) के किला. मीटर 30.150 से किलोमीटर 83.750 तक) हेतु अधिग्रहित उनकी निम्न वर्णित भूमि का किस्म "कृषि" निर्धारित करते हुए वाद सं0-08/2014-15, पंचाट संख्या-21 के तहत सूचित मुआवजा के विरूद्ध दायर किया गया है :-

वादगत भूमि का विवरण निम्न है :-

मौजा/थाना नं0	खाता सं0(पु0)	खेसरा सं0(पु0)	किस्म	दर प्रति एकड़	रकवा	मुआवजा	अभ्युक्ति
बख्तियारपुर/64	441	422	कृषि	18,85,455	0.2674	12,92,794	

अपीलार्थी की ओर से दाखिल वादपत्र में उनके विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया है कि वादगत भूमि उनके द्वारा विक्रय विलेख सं0-5833 दिनांक 30.05.2009 के क्रय किये गये 83 डिसमिल भूमि का एक भाग है। मुआवजा हेतु निर्गत नोटिस में अधिग्रहित भूमि के चौहद्दी का उल्लेख नहीं किया गया है, जिस कारण अधिग्रहित भूमि के रकवा का निर्धारण दोषपूर्ण है। आवेदक का कहना है कि उन्हें गजट अधिसूचना में प्रकाशित भूमि के किस्म / प्रकृति की जानकारी नहीं थी, किन्तु संबंधित नोटिस दिनांक 14.11.2020 को प्राप्त होने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि उनकी अधिग्रहित भूमि का किस्म / प्रकृति "कृषि" निर्धारित करते हुए प्रतिकर की गणना की गई है, जो पूर्णतया गलत है। आवेदक का कहना है कि वर्तमान में नगर पंचायत सिमरी बख्तियारपुर अन्तर्गत किसी भी समतल अथवा सूखी

भूमि का स्वरूप "कृषि" नहीं है। आवेदक की प्रश्नगत भूमि वार्ड नं0-01 में अवस्थित है तथा उक्त भूमि के आसपास कई लोगों का आवास बना हुआ है। आवेदक के द्वारा विक्रय विलेख संख्या-3125 दिनांक 06.08.2019 की प्रति संलग्न करते हुए उनकी वादगत अधिग्रहित कुल-26.74 डिसमिल भूमि का मूल्य 1,60,330/-रू0 प्रति डिसमिल की दर से मो0-42,87,224/-रू0 तथा उसके दोगुणा 85,74,448/-रू0 के मुआवजा का दावा किया गया है। उनके अनुसार उक्त नोटिस में उन्हें मुआवजा की राशि मात्र 12,92,794/-रू0 निर्धारित किया गया है, जो वास्तविक प्रतिकर से बहुत ही कम है। तदालोक में आवेदक के द्वारा मुआवजा की राशि पुनरीक्षित करने हेतु उचित आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सहरसा के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि NH Act- 1956 की धारा 3A के तहत दिनांक 06.05.2015 को प्रकाशित अधिसूचना में वादगत खेसरा-422 का किस्म / प्रकृति "कृषि" दर्ज है तथा धारा-3D के तहत दिनांक 02.05.2016 में भी किस्म / प्रकृति "कृषि" दर्ज है। समाहर्त्ता, सहरसा के पत्रांक 414-2/भू0अ0 दिनांक 17.08.2018 द्वारा गठित उचित प्रतिकर, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन समिति द्वारा मौजा- बख्तियारपुर/64 अन्तर्गत स्थल निरीक्षणोपरान्त समर्पित प्रतिवेदन में भूमि का किस्म/प्रकृति "कृषि" प्रतिवेदित किये जाने के आलोक में विहित रीति से मूल्य की गणना कर NH Act- 1956 की धारा 3G के तहत मौजा-बख्तियारपुर/64 के अंकित खेसरों का संशोधित प्राक्कलन दिनांक 26.11.2019 को NHAI से स्वीकृति हेतु भेजा गया तथा NHAI से स्वीकृत्योपरान्त पंचाट तैयार कर रैयतों को मुआवजा प्राप्त करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया है। आवेदक के द्वारा अपने आवेदन में किए गए दावा के समर्थन में वर्णित भूमि के सम्परिवर्तन (Change in land use) से संबंधित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत कोई प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं किया गया है। तदालोक में उनके द्वारा किस्म परिवर्तन एवं तदुनसार मुआवजा भुगतान से संबंधित आवेदक द्वारा दायर वाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

राष्ट्रीय उच्च पथ की ओर से उनके विज्ञ अधिवक्ता द्वारा दाखिल जबाव में बताया गया है कि प्रश्नगत वाद में आवेदक द्वारा NHAI को पक्षकार नहीं बनाया गया है। वादगत भूमि की किस्म / प्रकृति धारा-3A गजट अधिसूचना में कृषि" प्रकाशित किया गया तथा छः सदस्यीय समिति द्वारा स्थल जाँच में भूमि का स्वरूप "कृषि" प्रतिवेदित किया गया। तदालोक में बाजार मूल्य के आधार पर अधिग्रहित भूमि के प्रतिकर की नियमानुसार गणना कर मुआवजा भुगतान हेतु नोटिस निर्गत किया गया। उनका कहना है कि आवेदक द्वारा अपने अधिग्रहित भूमि का किस्म आवासीय होने के संबंध

में न तो छः सदस्यीय समिति के समक्ष किसी प्रकार का साक्ष्य रखा गया और न ही इस न्यायालय में। तदालोक में आवेदक के द्वारा काल्पनिक रूप से किये गये किस्म परिवर्तन तथा मुआवजा पुनरीक्षण के दावा को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

आवेदक को सुनने, अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों/दस्तावेजों के अवलोकनोपरान्त यह स्पष्ट है कि **RFCTLARR Act-2013** की धारा-23 के अनुसार जिला स्तरीय छः सदस्यीय समिति द्वारा स्थल निरीक्षण में अर्जनाधीन वादगत खेसरा सं0-422 अर्जनाधीन भूमि जिसका स्वरूप "कृषि" है, के बाजार मूल्य का निर्धारण **RFCTLARR Act-2013** की धारा- 26(i)(b) में वर्णित प्रावधान के आलोक में विकासशील श्रेणी की भूमि के विक्रय पत्र के आधार पर मो0 18,854.55/-रू0 प्रति डिसमिल की दर से किया गया है। जिसके आधार पर सक्षम प्राधिकार जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सहरसा द्वारा मुआवजा का निर्धारण कर भुगतान किया गया है, जो नियमानुकूल है। स्पष्टतः यह भूमि अधिग्रहण के समय कृषि कार्य हेतु उपयोग में लाया जा रहा था तथा उक्त भूमि का वर्तमान स्वरूप लगभग वैसा ही है। आवेदक के द्वारा प्रश्नगत भूमि के दर को बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष 2019 में निबंधित विक्रय पत्र का हवाला दिया गया है, जो **RFCTLARR Act के Sec-26** के अनुरूप नहीं है। इस प्रकार उपरोक्त वर्णित स्थिति में इस मामले में समाहर्त्ता, सहरसा की अध्यक्षता में गठित छः सदस्यीय समिति द्वारा जाँचोपरान्त "कृषि" श्रेणी की भूमि के रूप में प्रतिकर निर्धारित करते हुए मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है, जिसे पुनरीक्षित करने का कोई आधार एवं औचित्य नहीं है। इसी के साथ आवेदक के दावा को खारिज करते हुए वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति सभी संबंधितों को भेजें।

आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

लेखापित एवं संशोधित।

आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

न्यायालय, आयुक्त कार्यालय, कोशी प्रमंडल, सहरसा।

ज्ञापांक 41 /विधि सहरसा, दिनांक 5-1-2024

प्रतिलिपिः- समाहर्त्ता / जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सहरसा को आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा द्वारा आर्बिट्रेशन वाद सं0-87/2020 में दिनांक-04.01.2024 को पारित आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया जाता है।

अनुलग्नक :-यथोपरि।

प्रतिलिपिः- परियोजना निदेशक, एन0एच0ए0आई0, बेगूसराय द्वारा अधिवक्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।

प्रतिलिपिः- सुरेश यादव, पिता-स्व0 कारी यादव, सा0-भऔरा, थाना-बख्तियारपुर, जिला-सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।

5/1/24

प्रभारी पदाधिकारी, विधि
कोशी प्रमंडल, सहरसा।